राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण,उत्तराखंड

प्लाट न0 ए 1, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

ई–मेलः ceo-shauk@uk.gov.in

पत्रांक– रा0स्वा0प्रा0/2022–23/MOM-EC/107ए/35 दि0 12 अप्रैल 2022

अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक–04 अप्रैल 2022 को प्रातः 11.00 बजे आहुत कार्यकारिणी समिति की 21वीं बैठक के कार्यवृत्तः–

बैठक में उपस्थित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण–

1. श्री अरुणेन्द्र सिंह चौहान, मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी।
2. श्री संजीव कुमार सिंह, निदेशक–प्रशासन/वित्त ।
3. डॉ0 ए0के0गोयल, निदेशक, हॉस्पिटल मैंनेजमेंट।
4. डॉ0 डी0एस0 रावत, निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट।
5. डॉ0 वागेश चन्द्र काला, निदेशक, मेडिकल एण्ड क्वालिटी।
6. डॉ0 ए0के0 सिंह, प्रतिनिधि, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
7. डॉ0 तुहीन, प्रतिनिधि, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
8. श्री अतुल जोशी, अपर निदेशक, प्रशासन।

अन्य प्रतिभागियों का विवरण–

1. डा0 अपूर्वा सिंघल, मेडिकल ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
2. श्री पंकज कुमार, सीनियर मैनेजर, आई0टी0, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
3. श्रीमती पूनम चंदेल, मैनेजर ऑपरेशन्स/एच0आर0।

उक्त बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिए गए जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

- कार्यकारिणी समिति की दिनांक 20 नवम्बर 2021 को आहुत बैठक के जारी कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रशासनिक प्रकोष्ठ से संबंधित बिंदु :

1. शासनादेशानुसार निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट के पद पर डॉ0 डी0एस0 रावत की नियुक्ति आदेश संख्या 1964 दिनांक 31 जनवरी 2022 के माध्यम से रू0 1,12,500/– अन्तिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत के अनुसार की गयी है। जिस पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

2. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के आई0ई0सी0 प्रकोष्ठ में सोशल मीडिया हब की स्थापना के लिए कन्सल्टेंट्स की सेवाएँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूर्व में 06 माह हेतु ली गयी थी यह सेवाएं वर्तमान में 02 माह (दिनांक 31 मार्च, 2022) हेतु विस्तारित की गयी है। जिस पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

3. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत पुनर्नियुक्ति पर निदेशक–हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पद पर कार्यरत डा0 आनंद कुमार गोयल द्वारा 65 वर्ष आयु दिनांक 27 सितम्बर 2021 को पूर्ण करने के उपरांत भी उनकी सेवाएँ प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव शासन को पत्रांकः रा0स्वा0प्रा0/2021–22/1868 दिनांक 07 जनवरी 2022 द्वारा प्रेषित किया गया। तत्क्रम में शासन द्वारा दिनांक 15 मार्च 2022 को प्रेषित पत्र द्वारा सेवा विस्तार किये जाने के निर्णय को प्राधिकरण द्वारा गवर्निंग बॉडी में प्रस्तुत करने को कहा गया है। जिस पर समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

4. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों/अधिकारियों हेतु लागू किये जाने वाली मानव संसाधन नीति को बनाये जाने हेतु अध्यक्ष, रा0स्वा0प्रा0 द्वारा एक समिति गठित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसमें निम्न को नामित किया गया है:–

    a. श्री संजीव कुमार सिंह–निदेशक प्रशासन, रा0स्वा0प्रा0। (अध्यक्ष)

    b. डॉ0 आनन्द कुमार गोयल– निदेशक हॉस्पिटल मैनेजमेंट, रा0स्वा0प्रा0। (सदस्य)

    c. श्रीमती पूनम चंदेल– मैनेजर ऑपरेशन्स/एच0आर0। (सदस्य)

    d. श्री देवन्द्र सिंह चौहान– निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। (संयोजक)

    उपरोक्त नामित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रा0स्वा0प्रा0 के निर्देशन में दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक कार्य को पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

    (कार्यवाही– निदेशक प्रशासन)

5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा चयनित 08 एजेंसियों को (Beneficiary Facilitation Agency) के रूप में चयनित किया गया था, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा RFQ के माध्यम से चयनित Beneficiary Facilitation Agency (BFA) के रूप में M/s Writer Business Services Pvt. Ltd. का चयन किया गया है। चयनित फर्म द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में लाभार्थी के कार्ड बनाने, उन्हें योजनाओं का लाभ दिलवाने, चिकित्सालयों को लाभार्थी के दावें भुगतान हेतु एस0एच0ए0 को अपलोड किये जाने व दावों पर आपत्तियों के निस्तारण का कार्य किया जायेगा। इस कार्य हेतु एजेन्सी को प्रति क्लेम रू0 350.43 की धनराशि चिकित्सालयों को देय धनराशि में से भुगतान के उपरान्त भुगतान की जायेगी। जिस पर कार्यकारिणी समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

6. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अन्तर्गत कार्यरत श्री विशाल नारायण–सहायक प्रबंधक एम0आई0एस0, श्री सुशील पुरोहित–मैनेजर लीगल, श्री पवन चन्द्र बहुगुणा–मैनेजर आई0टी0 एवं श्री राजपाल रावत–रनर द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दिया गया है। कार्मिकों द्वारा दिये गये त्याग पत्र के सापेक्ष रिक्त पदों पर पुनः नवीन नियुक्ति की जानी है। जिस पर कार्यकारिणी समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

7. शासनादेश संख्या 1158/XXVIII-03-2121/40/2020 दिनांक 01.11.2021 द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का कार्यालय राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण भवन में उपलब्ध एक अतिरिक्त फ्लोर (चतुर्थ फ्लोर) स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किराये पर ली गयी दरों रू0 36.66 प्रति वर्गफुट प्रतिमाह + जी0एस0टी0 अतिरिक्त के अनुरूप लिया गया है। चतुर्थ तल का कुल क्षेत्रफल 3500 है, जिसकी कुल धनराशि रू0 1,28,300/–(रूपये एक लाख अटठाईस हजार तीन सौ मात्र) प्रतिमाह + जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के कार्यालय की स्थापना और उसके आवर्तक व्यय को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के बजट से वहन किया जायेगा। जिस पर कार्यकारिणी समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

क्लेम मैनेजमेंट प्रकोष्ठ

8. क्लेम मैनेजमेंट प्रकोष्ठ ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के आदेश संख्या SHAUK/CM/2021-22/2091, Dated 25th Feb. 2022 penalty for offences by the hospital (कोविड–19 पैकेज के साथ High end Radiology Diagnostic Package) जिसमें हॉस्पिटल पर 10 गुना पेनल्टी लगायी गयी थी। जिस क्रम में हॉस्पिटल द्वारा पत्र के माध्यम से कोविड काल की असाधारण समस्याओं को देखते हुये और उनके स्टाफ को भी कोविड होने के फलस्वरूप प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी से त्रुटियां हो गयी बताया गया। जिसके दृष्टिगत 10 गुना पेनल्टी को माफ करने का अनुरोध किया गया है। कार्यकारिणी समिति द्वारा संज्ञान लेते हुए उक्त प्रकरण के संदर्भ में अग्रिम कार्यवाही हेतु आगामी क्लेम रिव्यू समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– निदेशक क्लेम मैनेजमेंट)

9. सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय हल्द्वानी के पत्र संख्या आयुष्मान डायलिसिस/2021-22/275-277 दिनांक 21.01.2022 एंव पत्र संख्या आयुष्मान डायलिसिस/2021-22/395 दिनांक 31.01.2022 के माध्यम से प्राप्त 4472 सीपीडी निरस्त क्लेमस् को पुनः समीक्षा (Review) करने हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को प्रेषित किया गया। राजकीय चिकित्सालय सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय हल्द्वानी के कुल 3597 केस जिनमें मुख्यतः डायलिसिस का इलाज किया गया था परंतु कोविड काल के असाधारण परिस्थितियां एंव प्रशिक्षित स्टाफ न होने के कारण उचित दस्तावेज आयुष्मान पोर्टल पर अपलोड नहीं किये जा सके। अतः कार्यकारी कमेटी के समक्ष इस राजकीय चिकित्सालय के डायलिसिस के 3597 केस का पूर्ण भुगतान करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिस पर कार्यकारिणी समिति द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के माध्यम से एक संस्तुति पत्र प्रेषित कराते हुए उक्त क्लेमों का निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– निदेशक क्लेम मैनेजमेंट)

10. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2021 के अनुपालन में पेंशनरों को योजना में बने रहने हेतु सहमति/असहमति का विकल्प पत्र दिया गया था। आतिथि तक कुल 3031 असहमति एवं 7444 सहमति पत्र प्राधिकरण के पोर्टल पर प्राप्त हुए है, 112557 पेंशनरों द्वारा आतिथि तक कोई विकल्प प्राधिकरण के पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति द्वारा इस पर शासन से दिशा–निर्देश प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– निदेशक क्लेम मैनेजमेंट)

हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रकोष्ठ :–

11. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध **आयुष्मान मल्टीस्पेशियेलिटी हॉस्पिटल, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर** को निर्गत आदेश रा0स्वा0प्रा0/2021–22/2050 दिनांक 14 मार्च 2022, **आयुष्मान मल्टीस्पेशियेलिटी हॉस्पिटल, सितारगंज, जनपद ऊधमसिंह नगर** को निर्गत आदेश रा0स्वा0प्रा0/2021–22 /2067 दिनांक 21 मार्च 2022 एवं **आयुष्मान मल्टीस्पेशियेलिटी हॉस्पिटल, जसपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर** को निर्गत आदेश रा0स्वा0प्रा0/2021–22/2066 दिनांक 21 मार्च 2022 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत आदेश के उपरांत कार्यकारिणी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। जिस पर कार्योत्तर स्वीकृती प्रदान की गई है।

12. शासनादेश संख्या 1256(1)/XXVVIII (3)21–04/2008. टी0सी0 दिनांक 25 नवम्बर 2021 के द्वारा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सी0जी0एच0एस0 दरों पर चिकित्सा उपचार प्रदान किये जाने के निर्णय के क्रम में आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालयों से पूर्व में हस्ताक्षरित अनुबंध में संशोधन करते हुए नवीन चिकित्सालयों एवं वे चिकित्सालय जिन्होंने पूर्व में संशोधित अनुबंध हस्ताक्षर किये हैं, के साथ संशोधित अनुबंध हस्ताक्षरित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त नवीन चिकित्सालय के साथ संशोधित अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाय। पुराने सूचिबद्ध चिकित्सालय से संशोधित अनुबंध हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक नहीं है पर उन पुराने चिकित्सालयों को पत्र प्रेषित कर उनका योजना में कार्य किये जाने हेतु सहमति पत्र लिये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही जिन चिकित्सालयों की अनुबंध अवधि को 03 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, उनका review करते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अतः संशोधित अनुबंध पर पत्रावली पर दिनांक 17 जनवरी 2022 को प्राप्त अनुमोदन के क्रम में कार्यकारिणी समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृती प्रदान की गई है।

13. शासनादेश संख्या 1256(1)/XXVVIII (3)21–04/2008 टी0सी0 दिनांक 25 नवम्बर 2021 के क्रम में राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के संचालन की प्रगति एवं सी0जी0एच0एस0 दरों पर योजना के कियान्वयन किये जाने के क्रम में अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के स्तर पर पोर्टल परीक्षण स्तर पर है जिस हेतु दिनांक 26 मार्च 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को 05 चिकित्सालयों के नाम परीक्षण हेतु प्रेषित किये गए हैं। तत्क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पोर्टल development की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु दिनांक 30 मार्च 2022 को पत्र प्रेषित किया गया है। संज्ञान में लाया गया कि राज्य सरकार

स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को पोर्टल के माध्यम से चिकित्सा उपचार प्रदान करने हेतु विलम्ब होने की स्थिति में one TMS में सी0जी0एच0एस0 दरें enable किया जायेगा। वर्तमान में चयनित निजी चिकित्सालयों द्वारा (सूची) offline mode में राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा रहा है। जिस पर कार्यकारिणी समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को बेहतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित किये गयेः–

- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित राजकीय चिकित्सालयों (मेडिकल कॉलेज, बेस चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय एंव उप जिला चिकित्सा स्तर) को भी SGHS स्कीम के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने हेतु कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।
- CGHS पैनल के समस्त निजी चिकित्सालय/समस्त मलम चिकित्सालय/समस्त प्रयोगशाला, जो राज्य एंव राज्य के बाहर स्थित हैं, को SGHS स्कीम के अन्तर्गत सूचीबद्ध करने हेतु कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।
- PMJAY के अंतर्गत सूचीबद्ध निम्न श्रेणीयों के निजी अस्पताल/मेडिकल कॉलेज, जो CGHS पैनल में नही हैं, को योजना के अंतर्गत पैनल में लिया जाना प्रस्तावित हैः–
- समस्त सूचीबद्ध निजी मेडिकल कॉलेज
- पूर्णतः NABH Accrediated निजी चिकित्सालय
- राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित निजी चिकित्सालय

कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त NABH enrty level चिकित्सालयों को भी सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– निदेशक हॉस्पिटल मैनेजमेंट)

14. आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों की वस्तुस्थिति (जनपदवार/विशेषज्ञतानुसार/शय्या की संख्या/सूचीबद्धता अवधि/योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों की उपयोगिता)। जिस पर कार्यकारिणी समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

(कार्यवाही– निदेशक हॉस्पिटल मैनेजमेंट)

वित्त प्रकोष्ठ

15. प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंकेक्षित लेखों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
16. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण सोसाईटी को आयकर अधीनियम 12ए के तहत आय पर छूट प्राप्त होगी। जिस पर कार्यकारिणी समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।
17. वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रस्तावित बजट रू0 370 करोड़ हेतु अनुमोदनः–

वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित बजट का अनुमोदन

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

(धनराशि करोड़ में)

		(2018–2019)	(2019–20)	(2020–21)	(2021–22)		(2022–23)
क्र0 स0	विवरण	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	प्रतिशत व्यय	अनुमानित व्यय
	मद	धनराशि (रू0)	धनराशि (रू0)	धनराशि (रू0)	धनराशि (रू0)	%	धनराशि (रू0)
A	**क्लेम**						
1	चिकित्सालय के भुगतान हेतु	7.87	105.00	122.23	*329.00		350.00
	योग (A)	**7.87**	**105.00**	**122.23**	**329.00**	**97.38**	**350.00**
B	**प्रशासनिक एवं अन्य व्यय**						
1	स्टाफ पारिश्रामिक एवं भत्ते	0.07	1.12	1.08	2.27	0.67	2.50
2	प्रचार प्रसार, वार्षिकोत्सव	0.10	3.00	1.54	3.39	1.00	3.50
3	आई0एस0ए0 (Implementing Support Agency) के भुगतान हेतु	--	1.30	1.17	0.74	0.22	2.16
4	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.12	0.67	2.29	2.46	0.73	5.04
	योग (B)	**0.29**	**6.09**	**6.08**	**8.86**	**2.62**	**13.20**
	कुल योग (A + B)	**8.16**	**111.09**	**128.31**	**337.86**		**363.20**

नोटः– * वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 242 करोड़ वास्तविक व्यय एवं रू0 87 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है।

प्रस्तावति बजट रू0 370 करोड़ का समिति द्वारा संज्ञान लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

18. प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2021–22 के लेखों के अंकेक्षण हेतु M/s Sindhwani & Associates के स्थान पर M/s Ansul Agarwal & Co., Keshav Vihar, Dehradun को अंकेक्षण के कार्य हेतु दर रू0 125000+GST पर आंकेक्षण नियुक्ति किया गया है। जिस पर कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही– निदेशक वित्त)

अन्य बिन्दु

19. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी गाईडलाइन्स के अनुसार वर्तमान में राजकीय चिकित्सालयों को किये जा रहे कुल क्लेम्स के 50% भुगतान को 100% पूर्ण भुगतान किये जाये। जिससे राजकीय चिकित्सालयों द्वारा योजना के अंतर्गत दवाईयों, इम्पलांट के क्रय, Infrastructure एवं अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु प्रयोग किया जा सके। जिस हेतु

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा TMS में बदलाव किया जाना है, कार्मिकों द्वारा आतिथि तक कार्यवाही नहीं किये जाने पर कार्यकारिणी समिति द्वारा रोष व्यक्त किया गया साथ ही 15 दिनों के भीतर कार्य को पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये। महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य के माध्यम से पंजीकृत राजकीय चिकित्सालयों को पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

(कार्यवाही–निदेशक क्लेम मैनेजमेंट, अपर निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधक–आई0टी0)

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन के सादर संज्ञानार्थ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून।
3. महानिदेशक, चि0स्वा0 एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, प्रशासन, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून।
5. निदेशक, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून।
6. निदेशक, वित्त, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून।
7. निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून।
8. निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून।
9. वरिष्ठ प्रबंधक, आई0टी0, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून को उक्त कार्यवृत्त वेबसाईट में अपलोड करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. गार्ड फाईल।

(संजीव कुमार सिंह)
निदेशक–प्रशासन

अनुमोदित।

(दिलीप कुमार कोटिया)
अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति